2024/685

फर्द अहकाम्

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत– .... उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम– .... डीडवाना ....

प्रार्थी:– राज्य सरकार जरिए तहसीलदार डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन राज0।

बनाम्

अप्रार्थीगण :– मोहम्मद रमजान पुत्र इब्राहिम जाति रंगरेज निवासी डीडवाना तहसील डीडवाना वगै0।

किस्म मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 R.T.Act. संख्या...17/2024 सन्–2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
28.11.2024	प्रार्थी राज्य सरकार जरिए तहसीलदार डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन राज0 ने यह प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण मोहम्मद रमजान पुत्र इब्राहिम जाति रंगरेज निवासी डीडवाना तहसील डीडवाना वगै0 के पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर प्रार्थी तहसीलदार डीडवाना को सुना गया तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन् करने तथा प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, वे आगामी आदेश तक सरहद डीडवाना पटवार हल्का डीडवाना के खसरा नम्बर 1248 की भूमि में मौका व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें एवं किसी प्रकार का बेचाण नही करेगें व उपपंजीयक डीडवाना पंजीयन की कार्यवाही नही करेगें। अप्रार्थीगण को कोई उज एतराज हो तो असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। अप्रार्थीगण को तलब होकर पत्रावली दिनॉक 24.12.2024 को पेश हो। Vikas उपखण्ड अधिकारी डीडवाना 24/12/24 पत्रावली पेश हुई। श्री मान् P.O. सा अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे है। मिसल दिनांक 8/1/25 को पेश हो।	
8/1/2025	पत्रावली पेश हुई। राज. पैरोकार [illegible] अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की तरफ [illegible] श्री [illegible] ने वकालतनामा, [illegible] एवं [illegible] प्रस्तुत कर हस्ताक्षर पेश किए जो शामिल [illegible] किए। contd–	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.08 11:16:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को सुना गया व रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

राज० पैरोकार का कथन है कि अप्रार्थीगण ने खातेदारी की कृषि भूमि का अकृषि उपयोग किया है इसलिए खातेदारी समाप्त कर सिवायचक दर्ज किया जावे।

अप्रार्थीगण का जवाब है कि मौके पर 02 बीघा में प्लोटिंग का प्लान तैयार किया गया है, सम्पूर्ण खसरा की भूमि का अकृषि उपयोग नहीं किया जा रहा है। उक्त खसरा में 90-A की कार्यवाही हेतु नगरपालिका डीडवाना में आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है व चालान रसीद संख्या 05 दिनांक 29-11.2024 के रुपये 38653/- जमा करवा दिए गए है। भूमि को 90A के तहत दर्ज कराने की सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूर्ण की गई है। प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे।

उपलब्ध अभिलेख के अनुसार ग्राम डीडवाना के खसरा नम्बर 1248 रकबा 1.0500 हैक्टेयर भूमि के अकृषि उपयोग करने पर खातेदारी समाप्त कर सिवायचक दर्ज करने की प्रार्थी/तहसीलदार डीडवाना इस्तगासा कर रहा है। अप्रार्थीगण ने इस तथ्य को इन्कारा है।

खातेदारान / अप्रार्थीगण ने उक्त प्रश्नगत भूमि के भूमि रूपान्तरण हेतु सक्षम प्राधिकारी नगर परिषद डीडवाना के समक्ष आवेदन पेश किया है तथा शुल्क रु 38653/- जरिये रसीद संख्या 05 दिनांक 29-11.2024 के जमा कराए गए है जो प्रस्तुत दस्तावेजात से स्पष्ट होता है। भूमि रूपान्तरण की कानूनी कार्यवाही खातेदारान के द्वारा की जा रही है तथा कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जेरे कार है इसलिए वर्तमान केस पर प्रकरण की कार्यवाही को जारी रखा जाना व स्थगन आदेश को यथावत रखने का कोई आधार नहीं है तथा कानून सम्मत भी नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के [illegible] तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा [illegible] खारिज किया जाता है तथा पूर्व में जारी स्थगन आदेश दिनांक 19.11.2024 आज निरस्त किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.08 11:16:08 IST
Reason: SelfAttested